खबर संक्षेप

भोपाल में बूंदाबांदी, सीहोर-बालाघाट में पानी गिरा, एमपी में कई जिलों में छाए बादल

भोपाल। मध्यप्रदेश में आज यानी गुरुवार को भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर और बालाघाट में बारिश हुई है। बालाघाट में सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में तेज बारिश हुई। वहीं सीहोर में शाम को रिमझिम बारिश हुई है। भोपाल समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। भोपाल में तो कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से खरगोन, खंडवा, हरदा और बैतूल में ओले गिर सकते हैं। ग्वालियर-जबलपुर समेत आधे एमपी में आंधी और हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मैहर, पन्ना, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर में गरज-चमक और हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल के 50 इलाकों में गुल रहेगी बिजली

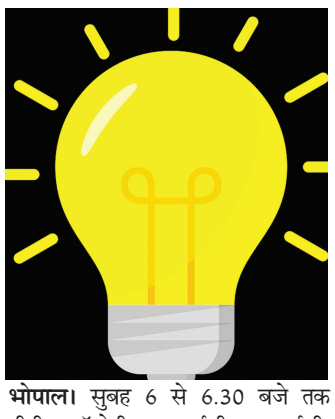

भोपाल। सुबह 6 से 6.30 बजे तक बीडीए कॉलोनी, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी, सिल्वर स्टेट, स्प्रिंग वैली, गोल्डन पाम एवं आसपास। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नेहरू नगर डीआरपी लाइन, मेहता मार्केट, बीडीए कॉलोनी, राजपूत ढाबा, नक्षत्र इन्क्लेव, सुरभि विहार, इंडस, विद्या सागर, वर्धमान ग्रीन वैली, कमला नगर, छप्पन क्वार्टर टीला, गौतम नगर, नारियल खेड़ा, पीपल चौराहा, प्रेम नगर, गणेश नगर, रविदास मंदिर, कोटरा सुल्तानाबाद, शबरी नगर, सरस्वती नगर, इंद्रानगर एवं आसपास। सुबह 10 से दोपहर 3.30 बजे तक सिग्नेचर 360, पवित्र परिसर, कृष्णा हाइट्स, कस्तूरी रॉयल, इंद्रप्रस्थ हाइट, अटलांटिस कॉलोनी, त्रिभुवन कॉलोनी, रामायण साउथ एवेन्यू फेस 1 और 2, सिग्नेचर सिटी, शिव कस्तूरी वाटिका एवं आसपास के इलाके।

पंडित खुशीलाल चिकित्सालय परिसर में पूरी बाउंड्री वॉल का निर्माण करें : संभागायुक्त

यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

संभागायुक्त संजीव सिंह ने पंडित खुशीलाल चिकित्सालय परिसर में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं छात्रावास परिसर में पूरी बाउंड्रीवाल निर्मित करने के निर्देश दिए। साथ ही महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय एवं पीजी भवन के रिपेयरिंग कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराए जाने एवं महाविद्यालय में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली की प्रक्रिया हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। संभागायुक्त श्री सिंह ने गुरुवार को आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में हकीम सैय्यद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक ली। बैठक में संयुक्त आयुक्त विनोद यादव, प्रतिनिधि आयुक्त संचालनालय डॉ. पंकज गुप्ता, प्रधानाचार्य हकीम सैय्यद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय डॉ. महमुदा बेगम, पंडित खुशीलाल चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य उमेश शुक्ला एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

संभागायुक्त श्री सिंह ने महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में कैजुअल्टी वार्ड विकसित करने हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय करने, डिजिटल एक्स-रे मशीन, चिकित्सालय एवं महिला छात्रावास में अग्निशमन उपकरण, नवीन महिला छात्रावास में वाटर कूलर क्रय करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। श्री सिंह ने महाविद्यालय से संबद्ध महिला छात्रावास एवं पीजी भवन के आगंतुक कक्ष हेतु फुल कवर्ड फिक्स्ड सोफासेट क्रय करने का अनुमोदन प्रदान किया।

युवक से मोबाइल लूटा, सड़क पर खड़े होकर रैपिडो बुक कर रहा था

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

शहर के हबीबगंज इलाके में एक युवक से मोबाइल लूट की वारदात हो गई। लुटेरे ने युवक का महंगा स्मार्टफोन जबरन छीन लिया और मौके से फरार हो गया। घटना की शिकायत पीड़ित युवक आकाश त्रिपाठी ने थाना थाने में दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक, घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की है। पीड़ित युवक सड़क किनारे रैपिडो बुक करने के लिए फोन का इस्तेमाल कर रहा था, तभी एक अज्ञात व्यक्ति अचानक आया और धक्का देकर उसका फोन छीनकर भाग गया। युवक के विरोध करने से पहले ही लुटेरा फरार हो गया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि लूटा गया मोबाइल फोन Moto Edge 40 Neo मॉडल का था। जिसकी कीमत लगभग 30 हजार रुपए है। लूट के बाद, मोबाइल को कुछ घंटों तक ऑन पाया गया, लेकिन सुबह 7 बजे के बाद फोन का नेटवर्क बंद हो गया। जिससे संदेह है कि लुटेरे ने फोन बंद कर दिया या सिम कार्ड निकाल दिया। पीड़ित ने पुलिस से जल्द से जल्द लुटेरे को पकड़ने और फोन को ट्रेस करने की मांग की है। भोपाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई संतोष मार्कम ने कहा कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे लुटेरे की पहचान की जा सके। साथ ही, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की मदद से फोन के आखिरी लोकेशन का भी पता लगाया जा रहा है।

भोपाल में आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार की मौत, पहले उल्टियां हुईं, पिता ने पहुंचाया था अस्पताल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

हाउसिंग बोर्ड करोंद, इंद्रा आश्रय कॉलोनी के निवासी और सेना से रिटायर्ड सूबेदार विनय किशोर त्रिपाठी का बीते 1 अप्रैल की रात अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से निधन हो गया। रात करीब 11 बजे उन्हें अचानक उल्टियां होने लगीं और वे बेहोश हो गए। इस पर उनके पिता चंद्र प्रकाश त्रिपाठी तुरंत उन्हें मिलिट्री अस्पताल बैरागढ़ ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन उनकी हृदय गति रुक चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही उनके परिजनों और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद शव को हमीद अस्पताल की मॉर्च्युरी भेजा गया। 3 अप्रैल को पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।

विनय किशोर त्रिपाठी दिसंबर 2021 में भारतीय सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके बच्चे बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी पुणे में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

रानीकमलावती से सहरसा के बीच चलेगी 13 ट्रिप्स स्पेशल ट्रेन

भोपाल। गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। जिसमें गाड़ी संख्या 01663/01664 रानी कमलापति-सहरसा-रानी कमलापति ग्रीष्मकालीन विशेष साप्ताहिक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन भोपाल मंडल के नर्मदापुरम एवं इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए रेलवे पूछताछ सेवा 139 के माध्यम से ट्रेन की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। गाड़ी संख्या 01663 रानी कमलापति - सहरसा ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन 7 अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। यह ट्रेन शाम 4.30 बजे रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी और रास्ते में शाम 5.40 बजे नर्मदापुरम, शाम 6.15 बजे इटारसी एवं अन्य स्टेशनों पर ठहराव के बाद अगले दिन दोपहर 3:15 बजे सहरसा पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01664 सहरस- रानी कमलापति (प्रत्येक मंगलवार, 13 ट्रिप)गाड़ी संख्या 01664 सहरसा -रानी कमलापति ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन 08 अप्रैल 2025 से 01 जुलाई 2025 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी।

जनभागीदारी से जल गंगा संवर्धन अभियान को मिल रही गति

बैरसिया के ग्राम पंचायतों में श्रमदान के माध्यम से पोखरों का गहरीकरण एवं कुओं की साफ-सफाई की गई

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनभागीदारी से जल संरक्षण के कार्य तेजी से जारी हैं। इन कार्यों में समाज के सभी वर्गों का सक्रिय सहयोग देखने को मिल रहा है।

गुरुवार को जनपद बैरसिया के ग्राम पंचायत बरखेड़ी हज्जाम, बीनापुर अगरिया, खजूरी, बोरदा, मुबारकपुर, कालापानी एवं सुरैया नगर में श्रमदान के माध्यम से पोखरों का गहरीकरण एवं कुओं की साफ-सफाई की गई। जिले में जनपद पंचायत बैरसिया एवं फंदा क्षेत्रों में 107 खेत तालाबों का निर्माण प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही अमृत सरोवर योजना (फेस 2.0) के अंतर्गत दामखेडा, उनींदा, परसोरा, पसैया (सेमरा), गढ़ाखुर्द एवं रमाहा ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर तालाबों का चयन किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों को गति देते हुए 1905 प्रगतिरत कार्यों में से 837 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, प्रत्येक प्रगतिरत कपिलधारा कूप का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाएगा। जिले में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व वाले जल स्त्रोतों की साफ-सफाई और जीर्णोद्धार का कार्य भी समान रूप से जारी है, जिससे समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और सहभागिता को नई दिशा मिल रही है।

नीति आयोग से आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर खंडवा को मिला 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में किया उल्लेखनीय सुधार

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल ।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में खंडवा ज़िले ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। नीति आयोग ने खंडवा के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की है। नीति आयोग ने बेहतर कार्यों के लिये खंडवा ज़िले को 3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की है। इस उपलब्धि के लिये ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और कुपोषण के खिलाफ व्यापक रणनीति अपनाने के प्रयास प्रमुख रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि खंडवा की उपलब्धि पूरे मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में इस तरह की सफलता प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धि खंडवा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम के सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों, मैदानी कार्यकर्ताओं की सराहना की है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये योजनाबद्ध प्रयास किए गए। ज़िले में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। आउटरीच स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गई। इसके साथ ही फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को निरंतर प्रशिक्षित कर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की गई। खंडवा ज़िले में मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिये गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, जांच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रसव केंद्र स्थापित किए गए। चिन्हित उप-स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति संबंधी समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी, इससे घर पर प्रसव के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान कर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित किया गया। 'लक्ष्य' एवं नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (एनक्यूएएस) में ज़िले की 25 स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नत किया गया, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं। खंडवा ज़िले में शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए समेकित प्रयास किए गये। सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ कुपोषण निदान की प्रभावी कार्रवाई से सकारात्मक परिणाम मिलना प्रारम्भ हुए। 'मिशन इंद्रधनुष' के तहत छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण टीकाकरण के दायरे में लाया गया।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील कोलर जिला भोपाल

सूचना पत्र (पावती सीमांकन)

क्रमांक Q **दिनांक 02/04/25**

(1) राजकिशोर चौरसिया पिता एन. आर. चौरसिया नि.44/11 साऊथ टीटी नगर भोपाल। (2) अमर यादव पुत्र आर.एस. यादव नि. 4 ए गणपति इनक्लेव कोलार भोपाल। (3) राजेश दुबे पुत्र बी.एस.दुबे नि.डी.-6 तिलक नगर भोपाल। (4) अनुग्रह खेमरिया पिता राजेश कुमार खेमरिया नि. भोपाल। (5) मो. आफाक पुत्र मो. युसुफ नि. भोपाल, कीर्ति सिन्हा पत्नी इन्द्रकुमार सिन्हा । (6) अंकिता बखतानी पुत्री चन्द्रकांता बखतानी नि. नयापुरा भोपाल। (7) डॉ. आर. के. चौरसिया पुत्र एन. आर. चौरसिया नि. 98 ए कमलानगर कोटरा सुल्तानाबाद। (8) अंकित धारा गृहनिर्माण सह. समिन्मय भोपाल द्वारा अध्यक्ष अशोक कुमार भोपाल (9) अशोका टावर्स प्रा.लि. कार्पोरेट आफीस-सी 37 परिजार वाणिज्यिक भवन डी-5 बिट्ल मार्केट भोपाल द्वारा प्रबंधक संचालक ए.के. सोनी पुत्र. पी. एन सोनी नि. ए 268 शाहपूरा भोपाल एवं समस्त हितबद्ध पक्षकार व सर्वसाधारण भूमिस्वामी गण।

विषय:-सीमांकन किये जाने बावत् सूचना पत्र ।

संदर्भ :-न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार जिला भोपाल के रा.प्र.क0228RD07-22280949/अ-12/ दिनांक.....के संबंध में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम नयापुरा प.ह.नं. 11 रा.वि.मं. वृत्त बैरागढ़ चिचली तहसील कोलार जिला भोपाल की भूमि खसरा क्रमांक 405 रकबा 0.1000 हेक्टेयर कुल रकबा.....हेक्टेयर जो कि आवेदक/आवेदिका श्री. जी. एस. जम्बोलकर पिता श्री एम.आर. जम्बोलकर निवासी नयापुरा भोपाल के नाम से है, का सीमांकन संदर्भित प्रकरण में राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 04/04/25 को समय दोपहर 12:00 बजे से किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

इस हेतु आप लोग मौके पर सीमांकन के समय उपस्थित रहे। यदि सूचना पर तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो सीमांकन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्थगित नहीं किया जावेगा। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमि स्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।

श्रीमान् नायाब तह. महोदय के पत्र आदेश क्र. 80 तह. को 2025 भोपाल दि. 02/04/25 के पालन में गठीत दल द्वारा सीमांकन दि. 04/04/25 को किया जाना है।

राजस्व निरीक्षक
कोलार तहसील भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक -4713/ अ-6/24-25

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्रीमती दीपा रघुवंशी पत्नी श्री सुमित रघुवंशी निवासी ब्लॉक डी-2, 6 फ्लोर नं. 405 सागर गोल्डन कटाराहिल्स भोपाल म.प्र. म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109,110 अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP43IGR16952025A100018179 दिनांक 10/01/25 ग्राम मक्सी प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 79/1/1/1, रकबा 428. 067 वर्गमीटर भूखण्ड क्रं. 11-ई भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 09/04/2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02/04/2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक -3850/अ-6/24-25

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक तुलसा जाटव आ. सुमेर सिंह जाटव निवासी भोपाल म.प्र. म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109,110 अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र. MP059702024A1998006 दिनांक 06/03/25 ग्राम रापडिया प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 140/3/2/1 (एस) रकबा 0.0083 हे. भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 09/04/2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02/04/2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)

न्यायालय नायब तहसीलदार, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़)- वृत्त, भोपाल

रा.प्र.क्र. 0057/अ-6/2024-25

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **08/01/25** को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम-पलासी, 2. खसरा नंबर- 106, 107/1/1/क/2, 3. क्षेत्रफल-0.0459 हे., 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/सीमांकन विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) आनंद साहू/लक्ष्मण साहू।

आज दिनांक 01/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़)-वृत्त, जिला भोपाल (म.प्र.)

(पुराना जिला पंचायत भवन, जिला भोपाल)

क्रमांक- 1739/अ-6/2024-25
नजूल/प्रवा./बैरा.वृत्त/2024
भोपाल, दिनांक 03/04/2025

:: सूचना-पत्र ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नेत सिंह सिसोदिया आ. स्व. श्री देवी सिंह निवासी पलासी भोपाल म.प्र. के द्वारा ग्राम निशातपुरा स्थित खसरा क्रमांक 95-96-97-98/1/1, 100/1/1, 101/1/1 अंशभाग रकबा 0.0526 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण कराने विषयक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकरण इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-1739/अ-6/2024-2025 विचाराधीन है। आवेदित भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में नेत सिंह, गजराज सिंह एवं अन्य निवासी भोपाल के नाम अविभाजित में दर्ज है।

अतः उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विधिक कार्यवाही किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस के भीतर स्वंय अथवा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है, तत्पश्चात प्राप्त आपत्ति ग्राह्य योग्य नहीं होगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी।

नायब तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर
(बैरागढ़)-वृत्त, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 5187/अ-6/2024-25

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक मनाली जैन आ. मनोज कुमार जैन निवासी 8 न्यू फ्रान्डस सोसायटी कोलार रोड चूना भट्टी भोपाल म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22/1/25 ग्राम बावडियाकलां प.ह.न. स्थित भूमि का खसरा नंबर 10/9/K रकबा 125.48 वर्गमीटर प्लैट नं.A/606 ब्लाक नं. A 'स्टारसिटी' भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 21/03/2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 04/03/2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़)- वृत्त, भोपाल

(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र. 1596/अ-6/2024-25

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **7/04/2025** को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम-निशातपुरा, 2. खसरा नंबर- 108/42 3. क्षेत्रफल-450 वर्गफिट, 4. उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण/सीमांकन विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता) नाजमा बी पत्नि श्री अनवर खान।

आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़)- वृत्त भोपाल